



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273757
CG-DL-E-23062026-273757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3234]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3234]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3367(अ).— केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 08) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है जो अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एम. VI-1/1/2026-खान VI(भाग)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2026

S.O. 3367(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 57 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), shall come into force.

[F. No. M.VI-1/1/2026-Mines VI(Part)]
KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.